

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 52 / 2026

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 1. शमशाद बी पत्नी रियाज अहमद पुत्री गुलाम मोहम्मद | } | जाति मुसलमान निवासीयान |
| 2. अजरा बी पत्नी मोहम्मद शाह पुत्री गुलाम मोहम्मद |   | गुड़िया तहसील टिब्बी   |
| 3. राजीना बी पत्नी फिरोज खान पुत्री गुलाम मोहम्मद |   | जिला हनुमानगढ।         |

वादीगण

बनाम्

- |                                    |   |                                |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अली | } | जाति मुसलमान निवासीयान गुड़िया |
| 2. नवाबा बी पत्नी गुलाम मोहम्मद    |   | तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।    |
| 3. मुहब्बत अली पुत्र गुलाम मोहम्मद |   |                                |
| 4. रमीज रजा पुत्र गुलाम मोहम्मद    |   |                                |

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 25/2/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री हरविन्द्रगिल व प्रतिवादी वकील श्योक्तअली अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादीयागण सं० 1 ता 3, शमशाद बी, अजरा बी, राजीना बी को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी-प्रतिवादी सं० 1 गुलाम मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद के नाम से दर्ज चक नं० 8 केएचआर के खाता सं० 49/49 में अंकित कुल 4.0480 है० नहरी मय गै०मु० आराजी ब०हि०ब० ख.प्रतिवादीया. सं० 2 नवाबा बी को प्राप्त आराजी:- चकनं० 1 एम. के. एस ए के खाता सं० 37/38 में अंकित कुल 2.5300 है० नहरी मय गै०मु० आराजी में से 1/2 हिस्सा की आराजी इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व चक नं० 8 केएचआर के खाता सं० 49/49 में से गुलाम मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद का नाम कलमजन व चक नं० 1 एम.के.एस. ए के खाता सं० 37/38 में से गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अली का हिस्सा कम किया जावे तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।